

पत्रांक 1037/36सी

दिनांक रानीखेत मई 18, 2024.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा में देघाट चिन्तौली मोटर मार्ग के किमी. 13.00 के नगरकोटिया कोठागांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.455 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का कार्यालय पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/१५४/२०१५/एफ.सी./१८७६ दिनांक २४.०३.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव पर एफ०आर०सी०एम० की बैठक दिनांक २०.०९.२०२२ को चर्चा की गयी थी। बैठक में आपको मोटर मार्ग के प्रस्तावित समरेखण का पुनः मूल्यांकन करने तथा ग्रामों के नीचे निकलने वाले मार्ग के दाई ओर से ग्राम कोठा तथा ढोडियाल बाखल को जोड़ने की सम्भावना खोजने हेतु आपको निर्देशित कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये थे, जिसके क्रम में आपके द्वारा मोटर मार्ग के समरेखण का निरीक्षण दिनांक १२.०१.२०२४ को किया है।

अतः अनुरोध है कि निरीक्षण आख्या भारत सरकार, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।


(इं. ओंकार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।

पत्रांक /36सी. तददिनांकित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
रानीखेत।